लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021
दूरभाष–0755–2583659 फैक्स–0755–2583651 ई–मेल cpibhop@nic.in URGENT

क्र./रा.मा.शि.अ./अतिथि/2018/1784 भोपाल दिनांक 30/10/2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–अतिथि शिक्षकों के ऑनलाईन मॉड्यूल में मानदेय तैयार करने की व्यवस्था प्रारम्भ करने विषयक।
संदर्भ– म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 44–13/2017/2010/20–2 भोपाल दि 07-07-2018।

संदर्भित शासनादेश में उल्लेखित दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया के अनुसार स्कूलों में उपस्थित होने वाले अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन प्रविष्टि संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक gfms पोर्टल में करने के निर्देश दिये गये थे।

2. मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 44–13/2018/20–2 दिनांक 03-10-2018 के अनुसार अतिथि शिक्षको के मानदेय में दिनांक 01.08.2018 से वृद्धि की गई है। बढ़े हुये मानदेय का विवरण निम्नानुसार है।

क्र	अतिथि शिक्षक श्रेणी	प्रति काल खण्ड दर	मानदेय की अधिकतम मासिक सीमा
1	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	90/-	9000/-
2	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	75/-	7000/-
3	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	50/-	5000/-

3. शासन के उक्त आदेश के बिन्दु क्र. 4 के अनुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40–2202 (02) – (109)–(घ)–0701– अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. संदर्भित आदेश की कण्डिका 3.6 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मॉडल तथा उत्कृष्ट विद्यालय में रखे गये अतिथि शिक्षकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर मानदेय भुगतान हेतु कार्यवाही की जाए।

5. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में संकुल प्राचार्य (एजुकेशन पोर्टल डी.डी ओ.) द्वारा स्कूलों में उपस्थित होने वाले जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूल से मेप कर दिया है, उन अतिथि शिक्षकों की कार्यरत संस्था से प्राप्त मासिक उपस्थिति के आधार पर gfms पोर्टल से मानदेय जनरेट करेंगे। इस प्रकार जनरेट किये गये देयक को हस्ताक्षरित कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को आहरण हेतु भेजेंगे।

उक्त निर्देशों के अनुसार मानदेय भुगतान संबंधी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण

पृ. क्र. रा.मा.शि.अ./अतिथि/2018/1785 भोपाल दिनांक 30/10/2018

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. कलेक्टर समस्त जिले।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
5. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण